

नंबर


दिवस का नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

नं. 2/229/19

तारीख रजु.....

वेदप्रकाश बनाम अशोकसिंह वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31.12.2019	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न. 103, 117 वाके ग्राम घीवडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 18.02.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.02. 2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> कठूमर (अलवर)</p> <p>18.2.20</p> <p>सबिक आदेश दिनांक 31.12.18 की पालना में पत्रावली वास्ते दिनांक 7/4/20 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p>7-4-20</p> <p>न्यायालय कठूमर उपखण्ड कठूमर (अलवर) पत्रावली दिनांक 26-5-20</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>15/11/23</p> <p>24/1/23</p>	<p>वकील आदी</p> <p>साथिक आदेश दिनांक</p> <p>की पालना में पत्रा</p> <p>दिनांक 24/1/23</p> <p>उपरोक्त अधिकारी</p> <p>कम्यून्स (अलवर)</p> <p>पत्रावली फर्म डी वकील आदी 300 नं. भापे</p> <p>वकील व उनके आदी को कार-2 का 141 नं</p> <p>रिफाई करी के 300 नं. भापे अथवा</p> <p>आदी का आदेश पर मा 200 नं. वकील आदी</p> <p>के कदम में - कदम जारी में वकील</p> <p>लिखा जाता है पत्रावली में मा 200 नं. भापे</p> <p>अथवा वकील को कार-2 का 141 नं</p> <p>जिला अलवर में सु-म</p> <p>उपरोक्त अधिकारी</p> <p>कम्यून्स (अलवर) राज०</p>

फाइल नं. 24/1/23

अलवर जिला अदालत की तारीख

देवामे,

11